NON DEPOSIT TAKING

भारतीय रिज़र्व बैंक

गैर-बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग कलक त्ता क्षेत्रीय कार्यालय

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF NON-BANKING SUPERVISION

CALCUTTA REGIONAL OFFICE



पंजीकरण प्रमाण पत्र CERTIFICATE OF REGISTRATION

संख्या No. 05.02683

भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45 आई ए के द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आरसीए लि॰ को

गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्था का कारोबार क्रावंध क्रव 🖟 करते रहने के लिए दूसरी तरफ दी गयी शर्तों पर यह

पंजीकरण प्रमाण पत्र

जारी किया गया।

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section 45 IA of the Reserve Bank of India Act, 1934

RCA LTD.

is hereby granted

Certificate of Registration

to commence / carry on the business of non-banking financial institution subject to the conditions given on the reverse.

वर्ष उन्नीस सौ अद्वानवे के जून माह की ग्यारह तारीख को कलक ता में मेरे हस्ताक्षर के अधीन जारी किया गया।

Given under my hand

at Calcutta this eleventh day of the month of June in the year one thousand nine hundred ninety eight.

(महाप्रबंधक / उप महाप्रबंधक)

General Manager / Deputy General Manager